

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या-13/2018-19

कान्ती देवी बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/12/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदिका श्रीमती कान्ती देवी, पति स्व० कामता सिंह, साकिन-ग्राम-विशम्भरपुर, थाना-बिहटा, जिला-पटना के द्वारा यह अपील बकास्त/ गैरमजरुआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं० 25बी०/2017-18 में दिनांक-22.11.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है।</p> <p>रैयती अभिलेख सं० 25बी०/2017-18 में राम प्रवेश सिंह को प्रदीप सिंह, दोनों के पिता बुधन सिंह वो विजय सिंह, पिता स्व० विनोद सिंह पक्षकार थे।</p> <p>अपीलार्थी कान्ती देवी के द्वारा स्वयं को प्रदीप सिंह की बहु बताते हुए प्रश्नगत भूखण्ड मौजा-विशम्भरपु थाना नं०-57, खाता नं० 413 खेसरा नं० 525 रकवा 17डी० रैयती दावा किया जा रहा है।</p> <p>पूर्व में प्रश्नगत भूखण्ड पर कुसुम सिंह, पिता प्रदीप सिंह के द्वारा रैयती दावा करते हुए रैयती वाद सं० 25बी०/2017-18 में दिनांक-22.11.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में रैयती अपील सं० 09/2018-19 दायर की गयी थी। रैयती अपील सं०-09/2018-19 की सुनवाई के उपरान्त दिनांक-01/11/2018 के आदेश से उक्त वाद को पुनः सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को प्रतिप्रेषित (Remand) कर दिया गया था।</p> <p>इस स्तर पर इस अपील की सुनवाई किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी श्रीमती कान्ती देवी प्रश्नगत भूखण्ड में अपने हिरसे आदि के संबंध में अपना पक्ष भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के समक्ष रख सकती है।</p> <p style="text-align: center;">वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>(वजैन उद्दीन अंसारी)</i> अपर समाहर्ता, पटना</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>(वजैन उद्दीन अंसारी)</i> अपर समाहर्ता, पटना</p> </div> </div>	